कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 333/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 24.08.2026

थाना–कोतवाली, जनपद–आजमगढ़

☐ दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित 02 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्रवाई

☐ न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभियुक्तों के घर पर नोटिस चस्पा कर डुगडुगी बजवाकर कराई गई उद्घोषणा

पूर्व की घटना/इतिहास– थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 348/2026, धारा 70(1)/123/61(2)/352/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त **1.** आशीष पुत्र अशोक कुमार निवासी सरफुद्दीनपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ एवं 2. सचिन कुमार पुत्र झीनकराम निवासी हाफिजपुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

➡☐ अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु उनके घर एवं संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई, लेकिन अभियुक्तगण न तो गिरफ्तार हो सके और न ही उनके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया।

कार्यवाही– उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत **माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 20.08.2026 को पारित आदेश** के अनुपालन में दोनों वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध **धारा 84 बीएनएसएस** के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्रवाई की गई। नियमानुसार अभियुक्तगण के घर के मुख्य द्वार पर उद्घोषणा संबंधी नोटिस चस्पा किया गया, डुगडुगी बजवाकर सार्वजनिक रूप से उद्घोषणा कराई गई तथा कार्रवाई के दौरान उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर कराए गए।

घटना का विवरण– अभियुक्तगण आशीष एवं सचिन कुमार द्वारा एक युवती को दवा सुंघाकर उसके साथ आपत्तिजनक कृत्य किए जाने के संबंध में थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण उक्त अभियोग में वांछित हैं तथा गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे हैं।

➡☐ आजमगढ़ पुलिस द्वारा आपराधिक कृत्यों में संलिप्त एवं फरार अभियुक्तों के विरुद्ध कानून के तहत प्रभावी एवं सख्त कार्रवाई लगातार जारी है।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 24.08.2026

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

☐ डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हुए साइबर फ्रॉड के ₹20,000/- पीड़ित को वापस कराए गए

□ साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए MRM पोर्टल के माध्यम से कराई गई धनराशि वापस

घटना का विवरण-

दिनांक 29.05.2026 को आवेदक रामनरायन सोनकर निवासी मुईयामकदुमपुर हुसामपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ के साथ डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर फ्रॉड किया गया। साइबर ठगों द्वारा आवेदक के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते से कुल ₹20,000/- की धनराशि साइबर फ्रॉड के माध्यम से निकाल ली गई। आवेदक द्वारा तत्काल दिनांक 29.05.2026 को साइबर क्राइम हेल्पलाइन/NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई।

शिकायत प्राप्त होने पर साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए फ्रॉड की गई धनराशि को India Post Payments Bank के संबंधित खाते में होल्ड कराया गया। इसके उपरान्त प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में थाना निजामाबाद की साइबर टीम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए MRM पोर्टल के माध्यम से साइबर फ्रॉड की सम्पूर्ण धनराशि **₹20,000/- आवेदक के खाते में वापस कराई गई।**

धनराशि वापस मिलने पर आवेदक द्वारा आजमगढ़ पुलिस एवं साइबर टीम के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

साइबर टीम थाना निजामाबाद- उ0नि0 दिलीप आनन्द, का0 राकेश यादव,का0 संदेश सिंह, म0आ0 रेनू देवी

आजमगढ़ पुलिस की अपील- किसी भी अनजान व्यक्ति के फोन कॉल, वीडियो कॉल या मैसेज पर विश्वास न करें। पुलिस अथवा कोई सरकारी एजेंसी फोन पर डिजिटल अरेस्ट कर पैसे जमा कराने के लिए नहीं कहती। साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करें अथवा NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक 24.08.2026

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

सरकारी स्कूल में योगा टीचर की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी एवं फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार करने वाले गिरोह का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण– दिनांक 01.08.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना मुबारकपुर पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त रितेश वर्मा, संदीप गुप्ता, गणेश उपाध्याय, राजेन्द्र चौहान एवं 4-5 अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा संगठित रूप से एनजीओ में योगा टीचर की नौकरी दिलाने के नाम पर वादिनी एवं अन्य कई व्यक्तियों से प्रति व्यक्ति ₹1,35,000/- की धनराशि ठगी गई तथा **'मेक्स आइडिया'** के नाम से फर्जी एवं कूटरचित ज्वाइनिंग लेटर देकर धोखाधड़ी की गई। तहरीर के आधार पर थाना मुबारकपुर पर **मु0अ0सं0- 283/2026** पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान दिनांक 02.08.2026 को अभियुक्त रितेश वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 24.08.2026 को उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा, चौकी प्रभारी कस्बा, मय हमराह ने सरकारी/एनजीओ में योगा टीचर की नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से धनराशि की ठगी करने तथा फर्जी एवं कूटरचित नियुक्ति पत्र तैयार कर वितरित करने वाले गिरोह के एक और वांछित अभियुक्त राजेन्द्र चौहान पुत्र मक्खन चौहान, निवासी चरौवां (नाद पलिया), थाना भीमपुरा, जनपद बलिया, हाल पता ग्राम भदुली, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 41 वर्ष को रोडवेज तिराहे से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से **11 अदद फर्जी नियुक्ति पत्र एवं अन्य दस्तावेज तथा एक मोटरसाइकिल बरामद** की गई है। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में स्वयं को कम्प्यूटर इंजीनियर बताया गया।

पंजीकृत अभियोग–

1. मु0अ0सं0 283/2026**,** धारा 111(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 303/2026**,** धारा 111(1), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी–

1. 11 अदद फर्जी नियुक्ति पत्र एवं अन्य दस्तावेज।
2. हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 283/2026, धारा 111(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 303/2026, धारा 111(1), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम– उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा, चौकी प्रभारी कस्बा, थाना मुबारकपुर, का0 मुसाहिद रज़ा, का0 हरेन्द्र सिंह, का0 कुलदीप कुमार सरोज थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस नोट, दिनांक 24.08.2026

जनपद आजमगढ़

□ मिशन शक्ति के तहत पुलिस लाइन आजमगढ़ में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन

□ महिलाओं एवं बालिकाओं ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को राखी बांधकर मनाया रक्षाबंधन पर्व, सुरक्षा एवं विश्वास का दिया संदेश

□ महिलाओं ने साझा किए अनुभव, आजमगढ़ पुलिस की सुरक्षा एवं सहायता व्यवस्था के प्रति जताया विश्वास और आभार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में आज दिनांक 24.08.2026 को पुलिस लाइन आजमगढ़ में **मिशन शक्ति अभियान के तहत रक्षाबंधन कार्यक्रम** का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में **मुख्य अतिथि के रूप में मंडलायुक्त आजमगढ़ श्री विवेक, डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र श्री सुनील कुमार सिंह** एवं मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ सहित पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

➡□ कार्यक्रम में राज्य स्तरीय मेधावी छात्रा हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट, नीट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रा तथा रिकवरी वारंट, परिवार परामर्श केंद्र, पारिवारिक विवाद, साइबर फ्रॉड बरामद धनराशि, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष, शिकायत प्रकोष्ठ से पीड़ित महिलायें एवं विभिन्न क्षेत्रों एवं संगठन जैसे समूह सखी/बैंक सखी, स्वयं सहायता समूह NGO, गैर सरकारी संगठनों जुड़ी महिलाएं एवं छात्राएं शामिल रहीं।

➡□ रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं एवं बालिकाओं ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की कलाइयों पर राखी बांधी, तिलक किया एवं मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन पर्व मनाया। इस अवसर पर अधिकारियों द्वारा भी महिलाओं एवं बालिकाओं को उपहार प्रदान किए गए तथा उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई।

➡□ कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आजमगढ़ पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। साथ ही साइबर अपराध में पीड़ितों की धनराशि वापस कराने, पारिवारिक विवादों में परिवार परामर्श के माध्यम से समाधान कराने तथा आवश्यकता पड़ने पर महिलाओं को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में भी जानकारी साझा की गई।

➡□ इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं एवं छात्राओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पुलिस एवं प्रशासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता के लिए किए जा रहे प्रयासों से उनमें सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत हुई है। महिलाओं द्वारा आजमगढ़ पुलिस एवं शासन के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

➡□ **अधिकारियों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को आश्वस्त किया गया कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें किसी प्रकार की समस्या या परेशानी हो तो वे बिना संकोच पुलिस को अवगत कराएं। उनकी सुरक्षा, सम्मान एवं सहायता के लिए आजमगढ़ पुलिस सदैव तत्पर है।**

➡□ कार्यक्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल, क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी सहित अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारीगण** उपस्थित रहे। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण एवं आत्मीय वातावरण में सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

साइबर फ्रॉड में ठगी गई ₹13,000/- की धनराशि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पीड़ित के खाते में वापस कराई गई

दिनांक 20.10.2025 को आवेदक साजिद अंसारी पुत्र निसार अहमद निवासी राजेपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ का मोबाइल फोन हैक कर उनके बैंक खाते से **₹13,000/-** की साइबर ठगी की गई थी। इस संबंध में आवेदक द्वारा NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी।

शिकायत पर साइबर हेल्प डेस्क थाना बरदह की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए फ्रॉड की गई ₹13,000/- की सम्पूर्ण धनराशि अभियुक्त के बैंक खाते में होल्ड कराई गई। तत्पश्चात विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के फंड रिलीज ऑर्डर के क्रम में संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए **पीड़ित के खाते में ₹13,000/- की सम्पूर्ण धनराशि वापस करा दी गई।**

साइबर पुलिस टीम-
थानाध्यक्ष बरदह चन्द्रदीप कुमार, उ0नि0 मनीष सिंह, म0आ0 आरती सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ ।

आजमगढ़ पुलिस द्वारा साइबर अपराध के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई करते हुए पीड़ितों की ठगी गई धनराशि वापस कराने हेतु साइबर हेल्प डेस्क के माध्यम से त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई की जा रही है।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक–24.08.2026 | जनपद–आजमगढ़

☐ अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के थानों पर नियुक्त उप निरीक्षकों को डिजिटल एप्लीकेशन्स का दिया गया प्रशिक्षण

☐ विवेचना एवं पुलिस की दैनिक कार्यप्रणाली में तकनीकी दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस कार्यालय स्थित कम्प्यूटर लैब में आयोजित हुआ प्रशिक्षण

आज दिनांक 24.08.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के थानों पर नियुक्त उप निरीक्षकों को पुलिस की दैनिक कार्यप्रणाली में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न डिजिटल एप्लीकेशन्स के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस कार्यालय आजमगढ़ स्थित कम्प्यूटर लैब में आयोजित किया गया। इस दौरान **AI Gemini, Google Lens, UPCOP, Yaksh, iGOT Karmayogi, Paper Scanner App, Google Maps एवं Google Meet** सहित विभिन्न एप्लीकेशन्स के उपयोग एवं उनकी कार्यप्रणाली के बारे में व्यावहारिक जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि उक्त तकनीकी संसाधनों का प्रभावी उपयोग **विवेचना, दस्तावेजों के डिजिटलीकरण एवं स्कैनिंग, लोकेशन/मैपिंग, ऑनलाइन मीटिंग, प्रशिक्षण, सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान तथा पुलिस की अन्य दैनिक ड्यूटियों** में किया जा सकता है।

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा उप निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि प्रशिक्षण में प्राप्त तकनीकी जानकारी का उपयोग पुलिस कार्यों को अधिक **सरल, त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी** बनाने में करें। इस प्रकार के प्रशिक्षण से पुलिस कर्मियों की डिजिटल दक्षता में वृद्धि होने के साथ-साथ विवेचना एवं पुलिसिंग की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 24.08.2026

18वीं इंटरस्कूल स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में आजमगढ़ पुलिस लाइन के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन

आजमगढ़। 18वीं इंटरस्कूल स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन दिनांक 23 अगस्त 2026 को होली चाइल्ड स्कूल, जौनपुर में किया गया। प्रतियोगिता में **आजमगढ़ पुलिस लाइन के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 03 स्वर्ण पदक एवं 01 रजत पदक जीतकर** जनपद का नाम रोशन किया।

प्रतियोगिता में **गौरवी गुप्ता, अनुराग एवं आर्यन गौड़ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक** प्राप्त किया, जबकि **स्वाति निषाद ने रजत पदक** हासिल किया। जौनपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान **उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री श्री गिरीशचंद्र यादव** द्वारा विजेता खिलाड़ियों को पदक पहनाकर सम्मानित किया गया तथा आजमगढ़ पुलिस लाइन को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी गई।

आजमगढ़ पुलिस लाइन पहुंचने पर **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार** द्वारा सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। एसएसपी द्वारा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें आगामी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया गया।
इस अवसर पर पुलिस लाइन के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। खिलाड़ियों के प्रशिक्षक **कोच सुनील कुमार शिंदे** को भी खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया।

आजमगढ़ पुलिस परिवार खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य एवं आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सफलता की कामना करता है।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक-24.08.26 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**
थाना मुबारकपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में 01 आरोपी अभियुक्त को **जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➡ दिनांक- 31.10.2013 को वादी मुकदमा उ0नि0 शमशेर बहादुर सिंह थानाध्यक्ष थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान **अभियुक्त सुर्यभान राम पुत्र स्व0 राजदेव निवासी देवली खालसा, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 40 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद होना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 385/2013 धारा-272,273,284 भादवि व 60(i)ख आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 24.08.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/ एन्टीकरप्शन(SPL) कोर्ट नं0-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त सुर्यभान राम पुत्र स्व0 राजदेव निवासी देवली खालसा, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**